15/7/19
25.7.19
25.7.19
21.8.19

न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना

न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
29/19	धारा 91 एल.आर.एक्ट	26.06.2019	22.8.19

उनवान सरकार बनाम सुरेन्द्र पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

—: निर्णय :—

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सिंघाना ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सिंघाना की राजकीय भूमि बा2 गै0मु रास्ता ख0 न0 306, 307 रकबा 0.19, 0.16है0 भूमि में से 0.0022 है0 अतिक्रमी सुरेन्द्र पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी सिंघाना ने अवैध रूप से दुकान चबुतरा बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के बावजुद अतिक्रमी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में दुकान चबुतरा कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से दुकान चबुतरा अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.94/— का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0 न0306, 307 लगान 0.10 की 50 गुणा जुर्माना राशि 5/— बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 22.8.19 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

उप तहसीलदार सिंघाना

Scanned with CamScanner